UPMT010011482026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,न्यायालय संख्या 03, जनपद मथुरा
उपस्थिति :–डॉ. (श्रीमती) पल्लवी अग्रवाल (उच्चतर न्यायिक सेवा)
{J.O.Code No. UP6191}
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–474/2026
वीरेन्द्र कुमार बनाम उ.प्र.राज्य

1. मुकदमा अपराध संख्या– 30/2026 धारा–5ए/8 गौहत्या निवारण अधिनियम, धारा–11 पशु क्रुरता निवारण अधिनियम व धारा 4/25 आयुध अधिनियम, थाना–कोसीकलां, जिला– मथुरा के अभियुक्त **वीरेन्द्र कुमार** की ओर से जमानत पर रिहा किए जाने के लिये यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 18.01.2026 को उ.नि. रजनीश नैन थाना कोसीकलां जनपद मथुरा मय हमराह का. 1686 सतेन्द्र व का. 1743 संजय मलिक मय प्राइवेट वाहन के वास्ते देखरेख शांति व्यवस्था, रोकथाम जुर्म जरायम, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व तलाश वांछित अपराधी हेतु थाना हाजा से बहवाले रपट नं. 61 समय 20.29 बजे रवाना होकर ग्राम कामर में मामूर थे कि मुखबिर खास से सूचना मिली कि 03 व्यक्ति पिकअप वाहन से गौवंश को उत्तर प्रदेश से हरियाणा ले जाते हैं और कामर–बिछौर रोड से कच्चे रास्ते से जाने वाले हैं। सूचना पर विश्वास कर उ.नि. द्वारा पीआरवी 5841 को बुलाकर पुलिस बल व मुखबिर के साथ मौके पर पहुँचकर पुलिया के पास खेतों में छिपकर इंतजार किया गया। कुछ समय बाद मुखबिर द्वारा बताई गई गाड़ी आने पर पुलिस ने दबिश देकर गाड़ी को 02 गौवंश सहित पकड़ लिया, जिसमें गौवंश को बुरी तरह भरा गया था। पकड़े गये व्यक्तियों में प्रथम ने अपना नाम राजू पुत्र छोटेलाल निवासी बरहन आगरा उम्र 37 वर्ष बताया, जिसकी तलाशी में एक नाजायज बांका व दो मोबाइल बरामद हुए। दूसरे ने अपना नाम वीरेन्द्र कुमार पुत्र राकेश कुमार निवासी बैनयी खुर्द बरहन आगरा उम्र 27 वर्ष बताया, जो गाड़ी चालक था, जिसके पास से एक मोबाइल व ₹1530/- बरामद हुए तथा गाड़ी संख्या UP80 HT 8878 (चेसिस नं0 MAIRD2LYKPIL88169) के कागजात नहीं दिखा सका। तीसरे ने अपना नाम अनिल कुमार पुत्र कृष्ण गोपाल निवासी बैनयी खुर्द बरहन आगरा उम्र 47 वर्ष बताया, जिसकी तलाशी में एक नाजायज बांका बरामद हुआ। दोनों अभियुक्त लाइसेंस नहीं दिखा सके। अभियुक्तों ने बताया कि वे गौवंश को उत्तर प्रदेश से हरियाणा ले जाकर बेचते हैं। उनका कृत्य धारा 5/8 गोवध निवारण अधिनियम, धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अपराध पाया गया। अभियुक्तों को समय 22.10 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। स्वतंत्र गवाह उपलब्ध नहीं हो सके। गिरफ्तारी में माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के निर्देशों का पालन

Digitally signed by PALLAVI AGARWAL
Date: 2026.03.19 10:22:30 ANAT
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

किया गया तथा बरामदगी की वीडियोग्राफी कर मोबाइल व धनराशि सील कर सुरक्षित रखी गई। बरामद गौवंश में एक सफेद-काली बिना सींग की व एक भूरी छोटे सींग वाली लगभग 05 वर्ष आयु की गाय थी, जिन्हें देखभाल हेतु दुर्वासा ऋषि गौशाला भिजवाया गया। अतः वादी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कर विधिक कार्यवाही की प्रार्थना की गयी है। उपरोक्त तहरीर के आधार पर अभियुक्त **वीरेन्द्र कुमार** के विरूद्ध मुकदमा अपराध सं० 30/2026 अन्तर्गत धारा–5 ए/8 गौहत्या निवारण अधिनियम, धारा–11 पशु क्रुरता निवारण अधिनियम व धारा 4/25 आयुध अधिनियम विरूद्ध पंजीकृत किया गया।

3. अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र में यह अभिकथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है तथा उसे उपरोक्त केस में पुलिस द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त के ही मु० 1530/–रू0 एवं प्रार्थी/अभियुक्त के मोबाइल की ही गलत रूप से बरामदगी दर्शाकर व दो गौवंशों की झूठी बरामदगी दर्शाकर झूठा फंसा दिया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त आगरा जिले का रहने वाला है तथा अपने वाहन से पलवल जा रहा था, कोसी में हो रही वाहन चैकिंग के दौरान पुलिस वालों से कहासुनी हो जाने के कारण प्रार्थी/ अभियुक्त को उपरोक्त केस में फर्जी बरामदगी दर्शाकर झूठा फंसा दिया गया है। बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी व निष्पक्ष गवाह नही है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 19.01.2026 से जिला कारागार, मथुरा में निरूद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त का अन्य कोई पूर्व का आपराधिक इतिहास नही है न ही पूर्व सजायाफ्ता है। प्रार्थी/अभियुक्त जमानत का दुरूपयोग नही करेगा तथा माननीय न्यायालय में नियत दिनांकों पर उपस्थित रहेगा। प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है तथा अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में या अन्य किसी न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया गया है न ही विचाराधीन है न ही निरस्त हुआ है। उक्त आधार पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।
4. राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।
5. जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता–फौजदारी को सुना, जमानत पत्रावली, प्रथम सूचना रिपोर्ट, थाने से प्राप्त प्रस्तरवार आख्या व संलग्न सी.डी. का अवलोकन किया गया।
6. अभियोजन के अनुसार आवेदक/अभियुक्त पर अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर गौवंश को पिकअप वाहन में लादकर उत्तर प्रदेश से हरियाणा ले जाकर बेचने का आरोप है। पिकअप वाहन से 02 गौवंश बरामद किये गये तथा अभियुक्त वीरेन्द्र कुमार को अन्य सह–अभियुक्तों के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक मोबाइल व ₹1530/– बरामद होना बताया गया तथा वाहन के कागजात प्रस्तुत न करने का आरोप है। अभियुक्त के विरुद्ध आरोप मुख्यतः पुलिस कार्यवाही एवं बरामदगी पर आधारित हैं तथा बरामदगी के संबंध में कोई स्वतंत्र सार्वजनिक साक्षी अभिलेख पर नहीं है। अभियुक्त दिनांक

19.01.2026 से जिला कारागार मथुरा में निरूद्ध है। अभियोजन पक्ष की ओर से आवेदक/अभियुक्त के आपराधिक इतिहास अथवा किसी पूर्व दोषसिद्धि के सम्बन्ध में भी कोई कथन नहीं किया गया है, अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में, बिना प्रकरण के गुण–दोष पर जाए, आवेदक/अभियुक्त को सशर्त जमानत प्रदान किए जाने का न्यायोचित आधार है।

तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त **वीरेन्द्र कुमार** द्वारा मुवलिग 70,000/– (सत्तर हजार रूपये) रूपए का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इतनी ही धनराशि के दो स्थानीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत किए जाने पर उसे निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियमानुसार जमानत पर रिहा किया जाए–

क– आवेदक/अभियुक्त समान प्रकार के अपराध में पुनः लिप्त नहीं होगा,

ख– आवेदक/अभियुक्त प्रश्नगत विवेचना/विचारण में अपने स्तर से कोई विलम्ब कारित नहीं करेगा,

ग– आवेदक/अभियुक्त न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा एवं अनावश्यक स्थगन नहीं लेगा,

घ– आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्षीगण को न डरायेगा और न धमकायेगा तथा अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ भी नहीं करेगा,

ड़– आवेदक/अभियुक्त आरोप विरचित किए जाने, धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कथन अंकित किए जाने एवं निर्णय हेतु नियत तिथियों पर आवश्यक रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

7. कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह इस जमानत आदेश की सॉफ्ट कॉपी अधीक्षक, जिला कारागार, मथुरा को ई० मेल districtjailmathura@gmail.com पर आवेदक/अभियुक्त के अभिलेख हेतु प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

दिनांकः–18.03.2026

(डॉ. श्रीमती पल्लवी अग्रवाल)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–03, मथुरा।
ID – UP6191